



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यपदेश ग्रामालियर

I/भारत/टीकमगढ़/झू.रा/2017/6305

प्रकरण क्रमांक १८०

द्वारा आज २६.१२.१७
प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क हेतु
विनाक १८.१२.१७ नियत।

द्वारा आज २६.१२.१७
प्रकरण क्रमांक १८०

१४ - भागीरथ पुत्र घोले ग्रहिया,

आयु ६२ वर्ष,

१५ - नव्यन यादव पुत्र बृजलाल यादव,
निवासीणा ग्राम बन्दर गुड़ा, तहो जतारा,
जिला टीकमगढ़ ₹५००/-

---- आवेदकगण

चिह्न

घून्दी अहिरवार व चिन्तू अहिरवार

पुत्रगणा स्व० श्री बिहारी अहिरवार,
निवासी ग्राम बैरवार, तहो जतारा,
जिला टीकमगढ़ ₹५००/-

---- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५०० क्र० छठ नये तंत्रोधम अधिनियम
२०१। म०प० मूरा० तैदिता १९५९

चिह्न आवेदा दिनांक २७-११-२०१७, द्वारा पारित तड़तीलदार।

उपराखियक्तारा, जिला टीकमगढ़ ₹५००/- प० १६/३-१२/१७-१८

----०----

न
है।

श्रीमान् जी, निगरानी आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

IT जाकर

१४ - यह कि, अनावेदक घून्दी अहिरवार व अन्य द्वारा एक
आवेदन प्रकरण में विभिन्न सर्वे नम्बर ३/३४/२ अ रखा

ग्राम

१. ६१९ हेठा ग्राम बैरवार, तहो जतारा, जिला

---२

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/6305

भागीरथ व अन्य विरुद्ध फून्दी अहिरवार व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२४-०५-२०१९	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री रामसेवक शर्मा अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार (राजस्व निरीक्षक) जतारा, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 16/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 27-11-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला- टीकमगढ़ को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p>  <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> (आर.के.जैन) २४/५/१९ सदस्य </div>	